संख्याः- 281 /6-अधि0/2017

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

1. आयुक्त,
गढ़वाल मण्डल पौड़ी/
कुमायूँ मण्डल नैनीताल।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

दिनांकः 25 अप्रैल ,2017 ।

विषयः- उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 तथा उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) (संशोधन) नियमावली-2010 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रायः यह देखने में आ रहा है कि अनुशासनात्मक कार्यवाहियों के विभिन्न प्रकरणों में कार्यवाही के दौरान अनुशासनिक प्राधिकारियों तथा जांच अधिकारियों द्वारा उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 तथा उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) (संशोधन) नियमावली-2010 के प्राविधानों का समुचित रूप से अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिससे अनेकों प्रकार की विधिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। विशेष रूप से उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) (संशोधन) नियमावली-2010 के प्रस्तर-4 के नियम-7 के अन्तर्गत उल्लिखित दीर्घ शास्तियाँ अधिरोपित करने के लिए प्रकिया का समुचित रीति से पालन नहीं किया जाता है, जिससे आरोपित सरकारी सेवक को प्रदत्त दण्ड प्रकियागत त्रुटियों से दूषित हो जाता है।

राजस्व परिषद् के संज्ञान में अनेक ऐसे प्रकरण भी आए हैं, जिनमें दण्डादेश दिए जाने के बाद उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 के नियम-11 लगायत 14 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। उक्त नियमावली के नियम-11 (1) में स्पष्ट उल्लेख है कि इस नियमावली के अधीन राज्यपाल द्वारा पारित आदेश के सिवाय सरकारी सेवक अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश की अपील अगले उच्चतर प्राधिकारी को करने का हकदार होगा। नियम-13 के अनुसार पुनरीक्षण का अधिकार सरकार में निहित है। नियम-14 के अनुसार आदेश के पुनर्विलोकन का अधिकार केवल महामहिम राज्यपाल को है।

यह देखने में आया है कि अनेक प्रकरणों में अनुशासनिक प्राधिकारी दण्डादेश पारित करने के उपरान्त पुनर्विचार प्रत्यावेदन स्वीकार कर दण्डादेश में संशोधन कर देते हैं, जो कि नियम संगत नहीं है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों के विरूद्ध प्रचलित विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही के मामलों में उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 एवं उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) (संशोधन) नियमावली–2010 के प्राविधानों का अनुपालन सभी संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारियों/जांच अधिकारियों को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत करते हुए कृत कार्यवाही से राजस्व परिषद् को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुरेन्द्र नारायण पाण्डे)
२५.०५.२०१७
आयुक्त एवं सचिव